न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 91/2018 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती रेखा मीणा पुत्री बुद्धराम जी मीणा, निवासी मकान नंबर 3 वार्ड, हिरण मगरी, सेक्टर 11, उदयपुर हाल निवासी 3/26, आयकर कालोनी, हिरण मगरी सेक्टर 11, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

टीला पिता हीरा जी भील, निवासी भैसड़ाखुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 13.06.2017, प्र. सं. 33/16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री सुखलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शान्तिलाल चपलोत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———:::———

निर्णय **दिनांक 17–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भैसड़ाखुर्द में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 8 रकबा 0.7500 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 08–12–2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी ने क्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया, तब से वादी उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु अनाधिकृत रूप से जमीन में प्रवेश कर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 13–06–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे

रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–10–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किये जाने पर उनकी ओर से वकील श्री शान्तिलाल चपलोत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 13–06–2017 की जानकारी उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 27–09–2018 को हुई। अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13–06–2017 के मियाद की अवधि 60 दिवस होती है अर्थात अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–08–2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–10–2018 को अर्थात करीब 1 वर्ष 2 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। किन्तु उक्त आवेदन में अंकित देरी के कारण उचित प्रतीत होने से न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–07–2018 की प्रमाणित प्रति, आदेशिका दिनांक 12–06–2018 से 23–07–2018 की प्रमाणित प्रति एवं तहसीलदार का निर्णय दिनांक 23–07–2018 की प्रमाणित प्रति पेश कर उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त आवेदन का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट की ओर से इस्तगासे की फोटो प्रति तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की सत्य प्रतिलिपि व विक्रय पत्र निरस्ती का प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं लेने एवं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर लेने की प्रार्थना की। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित

प्रतियां हैं अतः उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इस्तगासा मात्र फोटो प्रति होने से उसे रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता, किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की सत्य प्रतिलिपि व विक्रय पत्र निरस्ती की सत्य प्रति होने से उन्हें रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि अपीलान्ट विक्रय के आधार पर धारा 41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार कृषक बन चुकी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उसे खातेदार नहीं मानकर त्रुटि की है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से उसे यथावत रखते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 31–03–2016 को दर्ज करने के बाद की सभी 6 पेशियों न्यायालय की छाप लगी होकर पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने का अंकन किया जाकर दिनांक 16–02–2017 को दिनांक 08–05–2017 की पेशी नियत की गयी है, किन्तु इस दिनांक की कोई आदेशिका अंकित नहीं है एवं पत्रावली सीधे ही दिनांक 13–06–2017 को राजस्व कैम्प में रखी जाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना उन्हें सुने एवं बिना साक्ष्य सबूत के निर्णय पारित कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के विपरीत होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर

देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16–12–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

भंवरलाल महाजन मुतबन्ना उम्मेदीबाई पत्नी दीपचन्द महाजन, निवासी जगत तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **भीमराज पिता जवेरचन्द महाजन निवासी जगत, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**79 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....09**.....माह.....**05**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**09**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री एल.एल. जैन** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री धनसिंह सिसोदिया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–05–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**09**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।